सार्वजनिक उपापन नीति:

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन

सार्वजनिक उपापन नीतिसूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक उपापन नीति -: आदेश, 2012

सार्वजनिक उपापन नीति हेतु एमएसई आदेश,एमएसएमई अधिनियम 2012 , 2006 की धारा 11 के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। यह नीति 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी है। (26 मार्च 2012 को राजपत्र में अधिसूचना। (नीति का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों का उत्पादन और उनके द्वार उत्पादित उत्पादों के विपणन एवं उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं में सहायता करके उन्हें बढ़ावा देना और विकास करना है।

हालांकि, नीति प्रतिस्पर्धा के मुख्य सिद्धांत पर निर्भर करती है, जो एक उपापन प्रणाली के अनुसार मजबूत प्रापण प्रथाओं और आपूर्ति करने का पालन करती है, जो उचित, समान, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं लागत प्रभावी है।

नीति की मुख्य विशेषताएं- :

नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन एमएससी से 25%उपापन के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों उद्यमियों के स्वामित्व में एमएसएमई से उपापन के लिए निर्धारित वार्षिक उपापन का 5%उप लक्ष्य है एवं महिला उद्यमियों द्वारा चलाए जाने वाले एमएसई से उपापन हेतु निर्धारित वार्षिक उपापन का 3% है ।

1, अप्रैल, 2015 से समग्र उपापन लक्ष्य का न्यूनतम 25%अनिवार्य हो गया है।

पंजीकृत एमएसई को बयाना धन के भुगतान एवं निशुल्क निविदा संबंधी छूट प्रदान करता है।

एमएसई कीमत बैंड एल-1 + 15% के भीतर कीमत का हवाला देते हुए, जब एल-1 एमएसई के अलावा कोई अन्य व्यक्ति हो, उन्हें एमएसई द्वाराएल-1के बराबर कीमत कम करने की शर्त पर एल-1 कीमत पर कम से कम निविदा मूल्य का 20% आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।

यदि निविदा गैर विभाज्य अथवा गैर विभाजित योग्य हो तोएमएसई से सरकारी उपापन को बढ़ावा देने के लिए नीति की भावना पर विचार करते हुए एल-1 + 15% कीमत बैंड देने वाले एमएसई को कुल टेंडर कीमत की पूरी /संपूर्ण आपूर्ति के लिए टेंडर दिया जा सकता है ।